

Automotive Parts Merchants Association (Regd)

10, 1st Floor, Vardan House, Chabi Ganj,

Kashmere Gate, Delhi -110006

Phone : Office : 011-41054020, 011- 47027269

Email : apma1965@yahoo.in Website : www. apma.in

RAKESH KUMAR  
ELECTION COMMISSIONER, APMA  
2026-2028

M/s. KUMAR AUTO INDUSTRIES(FOCUS)  
565, Gali Behl Sahib, Hamilton Road  
Kashmere Gate, Delhi-110006  
Mobile No : 9810113855

To : All the members  
of A.P.M.A.

Circular No : 07  
APMA/ELECTION 2026-2028

Date : 07-03-2026

**A.P.M.A ELECTION FOR THE TERM - 2026-2028**

As per the Circular No. 02 dated 03-02-2026 a list of members of the APMA Election Council was circulated. Now some amendments/additions have been made in that list. Following is the updated list of members of Election Council for APMA Elections 2026-2028.

<b><u>S.No.</u></b>	<b><u>Name</u></b>	<b><u>Mobile No:</u></b>
01.	SHRI NEERAJ ARORA M/s. Auto Technologies Network	9811156135
02.	SHRI RAHUL MALHOTRA M/s. Deep Enterprises	8851453162, 9899224868
03.	SHRI RAJ KUMAR GANDHI M/s. Durga Rubber Industries	8178209794
04.	MOHD NAEEM M/s. Faiz Motors	9311860118, 7861860118
05.	SHRI RAJESH KHOSLA M/s. Khosla Motors	9810035752
06.	SHRI VIJAY KALIA M/s. Kirti Motors	9650256266
07.	SHRI PUNEET MALHOTRA M/s. Krishna Sales Corporation	9312219754
08.	SHRI SATISH MALHOTRA M/s. Malhotra Engg. Works	9871088444
09.	SHRI RAJESH DUA M/s. R.S. Auto Industries	9811211275
10.	SHRI R.S. SAHNI M/s. Unique Automobiles	8010066677
11.	SHRI SUSHIL BHATIA M/s. United Automobiles	9868281786

आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप निम्नलिखित सूचनाओं का अवश्य ध्यान रखें :-

1. तिथि :- 16 मार्च 2026 (सोमवार)
2. वोट डालने का समय :- सुबह 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक।
3. मतगणना :- 17 मार्च (मंगलवार), 2026 को सुबह 10.30 बजे से।
4. मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र :- "अपमा भवन"  
10, प्रथम तल, वरदान हाउस,  
चाबी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6
5. अपमा चुनाव के मतदान के वक्त अक्सर यह देखा गया है कि अपमा के सम्मानीय सदस्य जब मतदान करने चुनाव स्थल पर आते हैं तो उनका नाम वोटिंग सूची में नहीं होता है, जबकि वो सदस्य अपनी फर्म के Proprietor या Partner होते हैं, परन्तु अपमा रिकॉर्ड में उन सदस्यों का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें चुनाव के वक्त मतदान की अनुमति नहीं मिल पाती।  
अपमा चुनाव में केवल उन्हीं नोमीनी को मतदान का अधिकार होता है, जिनका नाम अपमा के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। हर फर्म को दो नोमीनी नियुक्त करने का अधिकार है। चुनाव मतदान के वक्त एक फर्म से केवल एक नोमीनी ही अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि यदि किसी सदस्य को अपनी फर्म के नोमीनी के नाम की जांच (Checking) करनी हो, तो वह अपमा कार्यालय से 2 बजे से 5 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकता है।  
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अपमा संविधान की धारा 7 के अनुरूप मतदान करने के लिए केवल नोमीनी ही आए।
6. मतदान केन्द्र में सेल फोन (Mobile Phone) का प्रयोग करना निषेध रहेगा।
7. वोटर स्लीप एवं पहचान पत्र के विषय में :-  
वोटर स्लीप आपके पते पर भेजी जा रही है, चुनाव के दिन वोटर स्लीप लेकर जरूर आयें। यदि किसी कारणवश ये Election Slip 13 मार्च 2026 तक आप तक ना पहुँचें तो आप कृपया अपमा कार्यालय से मंगवा लें। वोटर स्लीप ना लाने पर आपको वोटर स्लीप लेने के लिए लम्बी लाईन में खड़ा होना पड़ सकता है।
8. अपमा के जो सदस्य एक से ज्यादा कई फर्मों के नोमीनी हैं, उनसे अनुरोध है कि चुनाव स्थल पर आप अपने सभी फर्मों के बैलेट पेपर एक साथ ले एवं वोटिंग(मतदान) एक साथ ही करें।
9. मतदाता को अपना फोटो पहचान पत्र जिसमें आपकी फोटो लगी हो (जैसे-अपमा का आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स का पेन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड) इनमें से कोई भी एक साथ जरूर लाएं।
10. कार्यकारिणी पद के मतपत्र(Ballot Paper) पर 20 प्रत्याशियों के पक्ष में मोहर लगाना है, अधिक मोहर लगाने पर मतपत्र (Ballot Paper) निरस्त कर दिया जायेगा
11. किसी भी वाद-विवाद अथवा विषम परिस्थिति में चुनाव आयुक्त का फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, इसके लिए चुनाव आयुक्त को कारण दर्शाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

"मतदान आपका अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है।

अतः मतदान अवश्य करें।"



( राकेश कुमार )

अपमा चुनाव आयुक्त

सत्र 2026-2028